प्रारूप– डी

न्यायालय– महेश बाबू साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गुण्डरदेही, जिला बालोद छ.ग. पीठासीन अधिकारी– महेश बाबू साहू	
निर्णय दिनांक–20.02.2024 आपराधिक प्रकरण क्र.–773/2022 अपराध क्र 127/2022,थाना–अर्जुंदा	
परिवादी/अभियोगी	आरक्षी केन्द्र–अर्जुंदा ।
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री उत्तमलाल गोरे, ए.डी.पी.ओ.
अभियुक्त	01. रेवाराम निषाद, पिता स्व० सहदेव निषाद, उम्र 18 वर्ष, 02. लाकेश कुमार साहू, पिता नंदकुमार साहू, उम्र 19 वर्ष, 03. तीरथ कुमार साहू, पिता अवध राम साहू, उम्र 18 वर्ष, निवासीगण– ग्राम–भिलाई, थाना अर्जुन्दा, जिला बालोद छ०ग०
प्रतिनिधित्व द्वारा अभियुक्त की ओर से	श्री देवचरण यादव, अधिवक्ता ।

प्रारूप– इ

अपराध की तारीख	28.08.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	01.09.2022
अभियोग पत्र प्रस्तुत दिनांक	10.10.2022
आरोप विरचना की तारीख	08.12.2022
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	06.03.2023
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	–
निर्णय की तारीख	20.02.2024

अभियुक्त का विवरण

आरोपी का रैंक	आरोपी का नाम	गिरफ्तारी का दिनांक	जमानत पर मुक्त होने का दिनांक	आरोपित अपराध	दोषमुक्ति या दोषसिद्धी	दी गई सजा	धारा
01	रेवाराम निषाद	02.09.22	12.09.22	धारा 379/34 भा.द.सं.	दोषमुक्ति	निरंक	निरंक
02	लाकेश कुमार साहू	02.09.22	12.09.22	धारा 379/34 भा.द.सं.	दोषमुक्ति	निरंक	निरंक
03	तीरथ कुमार	02.09.22	12.09.22	धारा	दोषमुक्ति	निरंक	निरंक

	साहू			379/34 भा.द.सं.			

फार्म- एफ

इंडेक्स

1.	निर्णय का शीर्षक	1
2.	अधिवक्ता की उपस्थिति	1
3.	आरोप	2
4.	स्वीकृत तथ्य	3
5.	अभियोजन कहानी	3
6.	आरोपी की प्रतिरक्षा	निरंक
7.	अवधारणीय प्रश्न	3
8.	कारण और निष्कर्ष	4
9.	सजा	निरंक
10.	निरोध की अवधि एवं सेट–आफ	निरंक
11.	संपत्ति का व्ययन	8
12.	मुआवजा/प्रतिकर का आदेश	निरंक
13.	धारा 428 द प्र सं का प्रमाण पत्र	9
14.	सजा में प्रतिबद्धता का वारण्ट (जुर्माना के व्यतिक्रम में सजा)	निरंक
15.	निर्णय	2

निर्णय

(आज दिनांक–20/02/2024 को घोषित)

01– अभियुक्तगण के विरूद्व **धारा–379/34 भा0 दं0 सं0** के तहत इस आशय का आरोप है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 28.08.2022 को समय 14.48 बजे सहआरोपीगण के साथ सामान्य आशय निर्मित कर उक्त आशय के अग्रसरण में थाना अर्जुन्दा, जिला बालोद, छ०ग० अंतर्गत शासकीय उच्तर माध्यमिक विद्यालय भिलाई के सामने लगे सी०सी०टी०वी० कैमरा को उखाड़कर, बेईमानी से ले लेने के आशय से उक्त संपत्ति को हटाये ।

02– प्रकरण में कोई भी स्वीकृत तथ्य नहीं है ।

03– अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है, कि प्रकरण के प्रार्थी ने थाना अर्जुंदा में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 28.08.2022 के 14.48 बजे शासकीय उ०मा०वि० भिलाई के स्कूल के सामने लगे सी०सी०टी०वी० कैमरा को उखाड़कर चोरी कर ले गया है, विडियो में दिख रहा है, । प्राथी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी सदर के विरूद्ध अपराध क्रमांक 127/22, धारा–379/34 भा०दं०वि० कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण का मेमोरेण्डम कथन लिया गया । घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया। घटना से संबधित आवश्यक जप्तियां एवं बरामदगी की गई। पहचान पंचनामा तैयार किया गया । प्रकरण के प्रार्थी व गवाहों के कथनों को लेखबद्ध किया गया । आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया । विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र समक्ष न्यायालय प्रस्तुत किया गया।

04– अभियुक्तगण के विरूद्ध **धारा–379/34 भा0 दं0 सं0** के तहत आरोप विरचित कर उसकी विशिष्टियां पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने जुर्म अस्वीकार कर विचारण चाहा। धारा–313 दं0 प्र 0 सं0 के तहत परीक्षण किये जाने पर अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना एवं झूंठा फंसाया जाना व्यक्त किया तथा अपने बचाव में कोई साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किये हैं ।

05– **प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि –**

क्या अभियुक्तगण नेदिनांक 28.08.2022 को समय 14.48 बजे सहआरोपीगण के साथ सामान्य आशय निर्मित कर उक्त आशय के अग्रसरण में थाना अर्जुन्दा, जिला बालोद, छ०ग० अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

भिलाई के सामने लगे सी०सी०टी०वी० कैमरा को उखाड़कर, बेईमानी से ले लेने के आशय से उक्त संपत्ति को हटाये ?

निष्कर्ष व निष्कर्ष के आधार

06– **प्रकरण के प्रार्थी तुलाराम महिपाल (अ०सा०–01)** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है, कि वह आरोपीगण रेवाराम निषाद, लाकेश व तीरथ का नहीं जानता है। घटना वर्ष 2022 के सितंबर माह में भिलाई स्कूल की है । घटना दिनांक को वह भिलाई स्कूल में व्याख्याता के पद पर पदस्थ था, जब वह सुबह स्कूल अपने ड्यूटी पर पहुंचा तब देखा कि स्कूल के बाहर लगा सी०सी०टी०वी० कैमरा नहीं था, जिसे कोई चोरी कर ले गया था, कौन चोरी किया था, वह नहीं जानता है । वह रिपोर्ट करने थाना गया था । उसने, अज्ञात के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसने किसी का नाम लेखबद्ध नहीं कराया था, पुलिस ने उससे लिखित शिकायत प्रपी–01 एवं प्र०सू०रि० प्रपी–02 पर हस्ताक्षर लिया था । साक्षी ने आगे कथन किया है, पुलिसवाले घटनास्थल पर नजरीनक्शा बनाये थे या नहीं, उसे याद नहीं है, किन्तु नक्शा प्रपी–03 पर उसका हस्ताक्षर है । वह पहचान कार्यवाही के बारे में भी नहीं जानता है, किन्तु पहचान पंचनामा प्रपी–04 पर एवं फोटोग्राफ्स पेश करने पर प्रपी–05 पर उसका हस्ताक्षर है । उसने पुलिस को अपना बयान नहीं दिया था। साक्षी ने अभियोजन के समस्त सूझावों को अस्वीकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है ।

07– **साक्षी मनोज कुमार (अ०सा०–02)** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है, कि वह आरोपीगण रेवाराम निषाद, लाकेश, तीरथ को जानता है ।

पुलिसवाले, आरोपीगण से उसके समक्ष कोई पूछताछ नहीं किये थे, किन्तु मेमोरेण्डम कथन प्रपी–06, प्रपी–07, प्रपी–08, बरामदगी पंचनामा प्रपी–09, जप्ती पत्रक प्रपी–10 तथा पहचान पंचनामा प्रपी–04 पर उसका हस्ताक्षर है । उसने, पुलिस का अपना बयान नहीं दिया था । साक्षी ने अभियोजन के समस्त सूझावों को अस्वीकार किया है । इस प्रकार साक्षी ने मेमोरण्डम व जप्ती कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है ।

08– साक्षी उमेश कुमार ठाकुर (अ०सा०–03) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है, कि वह आरोपीगण रेवाराम निषाद, तीरथ कुमार एवं लाकेश कुमार को जानता है । लगभग 01 वर्ष पूर्व वह अपने दोस्त मनोज पटेल के साथ थाना गया था, तब पुलिसवाले के कहने पर कुछ दस्तावेजों मेमोरेण्डम कथन प्रपी–06, प्रपी–07 एवं प्रपी–08, बरामदगी पंचनामा प्रपी–09, जप्ती पत्रक प्रपी–10, पहचान पंचनामा कार्यवाही प्रपी–04 पर उसने हस्ताक्षर किया था । उसने पुलिस को अपना बयान नहीं दिया था । साक्षी ने अभियोजन के समस्त सूझावों को अस्वीकार किया है । इस प्रकार साक्षी ने मेमोरण्डम व जप्ती कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है ।

09– विवेचक साक्षी स०उ०नि० नारद राम ठाकुर (अ०सा०–04) ने अपने मुख्य परीक्षण में वह, दिनांक 02.09.2022 को थाना अर्जुन्दा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर उपस्थित था । उसी दिनांक को थाना अर्जुन्दा के अपराध क्रमांक 127/22 धारा 379, 34 भा०द०वि० की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी । विवेचना के दौरान उसने, दिनांक 02.09.2022 को घटना स्थल जाकर प्रार्थी के बताए अनुसार घटना स्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा प्रपी–03 अनुसार तैयार

किया था। उसने, दिनांक 02.09.2022 को आरोपी तिरथ कुमार साहू का मेमोरेण्डम कथन गवाहों की उपस्थिति में प्रपी–06 अनुसार दर्ज किया था । उसने, दिनांक 02.09.2022 को आरोपी लाकेश कुमार साहू का मेमोरेण्डम कथन गवाहों की उपस्थिति में प्रपी–07 अनुसार दर्ज किया था । उसने, दिनांक 02.09.2022 को आरोपी रेवाराम निषाद का मेमोरेण्डम कथन गवाहों की उपस्थिति में प्रपी–08 अनुसार दर्ज किया था । उसके द्वारा, आरोपीगण के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर आरोपी तिरथ कुमार साहू के द्वारा चोरी करने के पश्चात सीसी टीवी कैमरा को अपने घर से लगे खेत के पानी में फेंक दिया था, जिसे खोजबीन कर बरामद की गई है एवं बरामदगी पंचनामा प्रपी 09 तैयार किया गया है । उसके द्वारा, आरोपी तिरथ कुमार के कब्जे से बरामद सीपी + सीसी टीवी कैमरा को गवाहों के समक्ष जप्ती पत्र प्रपी–10 अनुसार जप्त किया गया है । उसके द्वारा, आरोपी से जप्त सीपी + सीसी टीवी कैमरा को तुलाराम महिपाल के द्वारा गवाहों की उपस्थिति में पहचान किया गया था, जिस संबंध में पहचान कार्यवाही पंचनामा प्रपी–04 तैयार की गई थी । उसने, आरोपीगण को विधिवत गिरफ्तारी पत्र क्रमशः प्रपी–11,12 एवं प्रपी–13 तैयार किया था । उसने, आरोपीगण की गिरफ्तारी की सूचना अवधराम साहू को दिया था । गिरफ्तारी की सूचना प्रपी 14 है । उसने, साक्षीगण तुलाराम, मनोज पटेल, उमेश कुमार ठाकुर के कथन उनके बताए अनुसार दर्ज किया था । दिनांक 01.09.2022 को प्रार्थी तुलाराम महिपाल थाना आकर शा०उ०म०वि० भिलाई के सीसी टीवी कैमरा को तोड़कर चोरी करने की लिखित शिकायत प्रस्तुत किया। सहायक उपनिरीक्षक रमेश सिन्हा के द्वारा प्रार्थी की लिखित शिकायत के आधार पर अपराध

क्रमांक 127/22 धारा 379, 34 भा०द०वि० का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगण रेवाराम निषाद, लाकेश साहू, तिरथ के विरूद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया है, वह सहायक उपनिरीक्षक रमेश सिन्हा के साथ कार्य कर चुका है, इसकारण वह उनके हस्ताक्षर को भलिभांति पहचानता है। प्रथम सूचना पत्र प्रपी 02 है, जिस पर सहायक उपनिरीक्षक रमेश सिन्हा के हस्ताक्षर हैं । प्रकरण में संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था । साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में समस्त विरोधी सूझावों को अस्वीकार किया है ।

10– साक्ष्य विश्लेषण दर्शित है कि प्रकरण प्रकरण के प्रार्थी तुलाराम महिपाल ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में घटना दिनांक को घटनास्थल से सी.सी.टी.वी. कैमरा चोरी होने का कथन तो किया है किंतु उक्त चोरी आरोपीगण द्वारा कारित की गई थी, के संबंध में उक्त साक्षी द्वारा कोई कथन नहीं किया गया है । विवेचना अधिकारी नारद राम ठाकुर ने गवाहों के समक्ष आरोपीगण का मेमोरण्डम कथन दर्ज करने तथा मेमोरण्डम कथन के आधार पर आरोपी तीरथ से सी.सी.टी.वी. कैमरा को गवाहों के समक्ष जप्त करने का कथन किया है किंतु प्रकरण में मेमोरेण्डम व जप्ती कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षी मनोज कुमार व उमेश कुमार ठाकुर ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में उनके समक्ष मेमोरण्डम व जप्ती कार्यवाही होने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं मात्र मेमोरण्डम व जप्ती पत्रक पर उनका हस्ताक्षर होने का कथन किये हैं । प्रकरण में यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है तथा प्रकरण में मेमोरण्डम व मेमोरण्डम के आधार पर जप्ती की कायर्वाही स्वतंत्र साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हैं । इस प्रकार आरोपीगण के विरूद्ध अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य प्रकट

नहीं हुआ है, प्रकरण में संदेह विद्यमान है। फलस्वरूप अभियोजन युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित कर पाने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रशरण में चोरी का अपराध कारित किया। फलतः **आरोपी तीरथ कुमार साहू, लाकेश कुमार साहू व रेवाराम निषाद** को **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379/34** के आरोप में संदेह का लाभ देते हुये **दोषमुक्त** कर स्वतंत्र किया जाता है।

11– अभियुक्तगण के पूर्व के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं तथा **धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता** के अधीन प्रस्तुत जमानत, बंधपत्र आगामी 06 माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा।

12– प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक नग सी सी टी व्ही कैमरा, अपील अवधि उपरांत दस्तावेज पेश करने पर, अपील न होने की दशा में उसके वास्तविक स्वामी को तस्दीक उपरांत प्रदान किया जावे। अपील होने पर जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जावेगा।

13– **धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता** के अंतर्गत आरोपीगण के जांच विचारण के दौरान की अभिरक्षा अवधि का प्रमाण पत्र तैयार हो।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही/–
महेश बाबू साहू
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गुण्डरदेही जिला बालोद छ.ग.

मेरे निर्देशानुसार टंकित

सही/–
महेश बाबू साहू
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गुण्डरदेही जिला बालोद छ.ग.

प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता

अभियुक्त का नाम	न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	पुलिस अभिरक्षा की अवधि
01. तीरथ कुमार साहू, पिता अवध राम साहू, उम्र 18 वर्ष, 02. लाकेश कुमार साहू, पिता नंदकुमार साहू, उम्र 19 वर्ष, 03. रेवाराम निषाद, पिता स्व० सहदेव निषाद, उम्र 18 वर्ष, निवासीगण ग्राम भिलाई, थाना अर्जुन्दा, जिला बालोद छ०ग०	दिनांक 02.09.2022 से 12.09.2022 तक	निरंक

सही/–

दिनांक 20–02–2024

महेश बाबू साहू
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गुण्डरदेही जिला बालोद छ.ग.